"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2002—कार्तिक 9, शक 1924

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/2002/खाद्य/29.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
   (2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	द मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल वेयर हाऊस एक्ट, 1947.
2.	द मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल वेयर हाऊस रूल्स, 1961.
3.	द मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन रेगुलेशन्स, 1962.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 5-6/2002/खाद्य/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st October 2002

NOTIFICATION

No. F 5-6/2002/Food/29.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2002.
(2)It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Act, 1947.
2.	The Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Rules, 1961.
3.	The Madhya Pradesh Warehousing Corporations Regulations, 1962.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-7/2002/खाद्य/29.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
(2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधि का नाम (2)
1.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9-क के अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम कोरिया, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कवर्धा, रायपुर, महासमुन्द, राजनांदगांव, धमतरी, दुर्ग, कांकेर, बस्तर एवं दंतेवाड़ा की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचनाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2002

क्रमांक एफ 5-7/2002/खाद्य/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st October 2002

NOTIFICATION

No. F 5-7/2002/Food/29.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000); the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2002.
   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1t day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Law (2)
1.	Notification issued by Government of Madhya Pradesh in exercise of powers conferred by Sub-Section A of Section 9 of Consumer Protection Act, 1986 for formation of District Consumer Forum for District Koriya, Sarguja, Jashpur, Korba, Bilaspur, Janjgir-Champa, Raigarh, Kawardha, Raipur, Mahasamund, Rajnandgaon, Dhamtari, Durg, Kanker, Bastar and Dantewada.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOHAR PANDE, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.